2020 का विधेयक संख्यांक 97

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी को विनियमित करने वाले प्राधिकारी

अ. राष्ट्रीय बोर्ड

3. राष्ट्रीय बोर्ड ।
4. राष्ट्रीय बोर्ड के संबंध में सरोगेसी अधिनियम के उपबंधों का लागू होना ।
5. राष्ट्रीय बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

आ. राज्य बोर्ड

6. राज्य बोर्ड ।
7. राज्य बोर्ड के संबंध में सरोगेसी अधिनियम के उपबंधों का लागू होना ।
8. राज्य बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

इ. राष्ट्रीय रजिस्ट्री और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

9. क्लीनिकों और बैंकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना ।
10. राष्ट्रीय रजिस्ट्री की संरचना ।
11. राष्ट्रीय रजिस्ट्री के कृत्य ।
12. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की नियुक्ति ।
13. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के कृत्य ।
14. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की शक्तियां ।

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

15. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक या सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक का रजिस्ट्रीकरण ।
16. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना ।
17. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ।
18. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्दकरण ।
19. अपील ।
20. परिसर के निरीक्षण की शक्ति ।

खंड

अध्याय 4

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक के कर्तव्य

21. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों के साधारण कर्तव्य ।
22. सूचित की गई लिखित सहमति ।
23. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों का सही अभिलेखों को रखने का कर्तव्य ।
24. मानव युग्मकों और भ्रूणों का प्रयोग करने वाले सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों के कर्तव्य ।
25. पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक निदान ।
26. लिंग चयन ।
27. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों द्वारा युग्मकों का स्रोत ।
28. मानव युग्मकों और भ्रूणों का भंडारण और उनको संभालना ।
29. मानव युग्मकों, युग्मजों और भ्रूणों के विक्रय पर निर्बंधन ।
30. मानव भ्रूण और युग्मकों पर अनुसंधान ।
31. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन्मे बच्चे का अधिकार ।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

32. चयनात्मक लिंग सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी ।
33. अपराध और शास्तियां ।
34. अधिनियम या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड, जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है ।
35. अपराधों का संज्ञान ।
36. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना ।
37. क्लीनिकों या बैंकों द्वारा अपराध ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

38. राष्ट्रीय बोर्ड और राष्ट्रीय रजिस्ट्री को निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।
39. राज्य सरकार की राज्य बोर्ड को निदेश देने की शक्ति ।
40. तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति ।
41. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
42. नियम बनाने की शक्ति ।
43. विनियम बनाने की शक्ति ।
44. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।
45. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना ।
46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

2020 का विधेयक संख्यांक 97

[दि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नालाजी (रेगुलेशन) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सेवाओं के दुरूपयोग के निवारण, उनका सुरक्षित और नैतिक व्यवसाय करने के लिए तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे ;

(ख) "कृत्रिम शुक्रसेचन" से किसी स्त्री की जननीय प्रणाली में वीर्य कृत्रिम रूप से अंतरण करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पति के वीर्य से या दाता के वीर्य से शुक्रसेचन भी है ;

(ग) "सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ, ऐसी सभी तकनीकें अभिप्रेत हैं, जो मानव शरीर के बाहर शुक्राणु या डिम्बाणुजन कोशिका संचालन करने और किसी स्त्री की जननीय प्रणाली में युग्मक या भ्रूण का अंतरण करके गर्भधारण करवाने का प्रयत्न है ;

(घ) "सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक" से ऐसा कोई संगठन अभिप्रेत है जो सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों या उनके मरीजों को शुक्राणु या वीर्य, डिंब या डिम्बाणुजन कोशिकादाताओं के प्रदाय हेतु स्थापित किया गया हो ;

(ङ) "सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक" से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रक्रियाओं को करने हेतु अपेक्षित सुविधाओं और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों से सुसज्जित कोई परिसर अभिप्रेत है ;

(च) "बालक" से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जन्मा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है ;

(छ) "कार्य कराने वाला दंपत्ति" से ऐसा बांझ विवाहित दंपत्ति अभिप्रेत है जो किसी सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक या सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक में, उक्त क्लीनिक या बैंक की प्राधिकृत सेवाएं अभिप्राप्त करने के लिए जाता है ;

(ज) "अंडा" से मादा युग्मक अभिप्रेत है ;

(झ) "भ्रूण" से गर्भाधान के पश्चात् गर्भाधान के दिन से छप्पन दिन के अंत तक विकासोन्मुख या विकसित जीव अभिप्रेत है ;

(ञ) "युग्मक" से शुक्राणु और डिम्बाणुजन कोशिका अभिप्रेत है ;

(ट) "युग्मकदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी बांझ दंपत्ति या स्त्री को एक शिशु जन्म के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से शुक्राणु या डिम्बाणुजन कोशिका उपलब्ध करवाता है ;

(ठ) "स्त्रीरोग विशेषज्ञ" का वही अर्थ होगा जो गर्भधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 में उसका है ;

(ड) "बांझपन" से किसी दंपत्ति के गर्भधारण करने की ऐसी अक्षमता अभिप्रेत है, जो एक वर्ष तक असुरक्षित संभोग के पश्चात् या अन्य प्रमाणित चिकित्सीय दशा में उसे गर्भधारण करने से निवारित करता हो ;

(ढ) "राष्ट्रीय बोर्ड" से सरोगेसी अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के

अधीन गठित किया जाने वाला राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ण) भारत में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों की "राष्ट्रीय रजिस्ट्री" से धारा 9 के अधीन स्थापित कोई रजिस्ट्री अभिप्रेत है ;

(त) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तद्नुसार "अधिसूचित" पद का अर्थ लगाया जाएगा ;

(थ) "रोगी" से ऐसा कोई व्यष्टि या दंपत्ति अभिप्रेत है जो बांझपन के उपाय के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक में आता है ;

(द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ध) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से धारा 12 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(न) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(प) "शुक्राणु" से परिपक्व नर युग्मक अभिप्रेत है ;

(फ) "राज्य बोर्ड" से सरोगेसी अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सरोगेसी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ब) "सरोगेसी अधिनियम" से सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2020 अभिप्रेत है ; और

(भ) "स्त्री" से विवाह की विधिक आयु से ऊपर की कोई ऐसी स्त्री अभिप्रेत है जो किसी सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक या सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक द्वारा क्लीनिक या बैंक की प्राधिकृत सेवाएं अभिप्राप्त करने के लिए पहुंचती है ।

(2) इस अधिनियम में आने वाले "क्लीनिकों और बैंक" पदों का "सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक" और "सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक" के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

अध्याय 2

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी को विनियमित करने वाले प्राधिकारी

आ. राष्ट्रीय बोर्ड

राष्ट्रीय बोर्ड ।

3. सरोगेसी अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित किया जाने वाला राष्ट्रीय बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड होगा ।

राष्ट्रीय बोर्ड के संबंध में सरोगेसी अधिनियम के उपबंधों का लागू होना ।

4. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(i) राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन ;

(ii) राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों की पदावधि ;

(iii) राष्ट्रीय बोर्ड की बैठकों ;

(iv) रिक्तियों आदि से राष्ट्रीय बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होने ;

(v) राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निर्हताओं ;

(vi) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के साथ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से सहयोजित करने ;

(vii) राष्ट्रीय बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ;

(viii) पुनःनियुक्ति के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों की पात्रता,

से संबंधित सरोगेसी अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से है, यथावश्यक परिवर्तन सहित सरोगेसी के संबंध में वैसे ही लागू होंगे मानो वे इस अधिनियिम के अधीन अधिनियमित हों ।

राष्ट्रीय बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

5. राष्ट्रीय बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से संबंधित नीति संबंधी विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(ख) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना और मानीटर करना तथा केन्द्रीय सरकार को उनमें कोई उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए सिफारिश करना ;

(ग) क्लीनिकों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आचार संहिता अधिकथित करना, भौतिक अवसंरचना, प्रयोगशाला और नैदानिक उपस्कर तथा क्लीनिकों और बैंकों द्वारा नियोजित विशेषज्ञ मानव शक्ति के लिए न्यूनतम मानक निश्चित करना ;

(घ) अधिनियम के अधीन गठित विभिन्न निकायों के कार्य का निरीक्षण करना और उसकी प्रभावी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करना ;

(ङ) राष्ट्रीय रजिस्ट्री के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना और राज्य बोर्डों के साथ संपर्क बनाना ;

(च) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उपबंधों के अनुसार आदेश पारित करना ; और

(छ) ऐसे कोई अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

आ. राज्य बोर्ड

राज्य बोर्ड ।

6. सरोगेसी अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन गठित किया जाने वाला राज्य बोर्ड, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य बोर्ड होगा ।

राज्य बोर्ड के संबंध में सरोगेसी अधिनियम के उपबंधों का लागू होना ।

7. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(i) राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन ;

(ii) राज्य बोर्ड की संरचना ;

(iii) राज्य बोर्ड के सदस्यों की पदावधि ;

(iv) राज्य बोर्ड की बैठकों ;

(v) रिक्तियों, आदि से राज्य बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न हो ;

(vi) राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताओं ;

(vii) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य बोर्ड से व्यक्तियों के अस्थायी सहयोजन ;

(viii) राज्य बोर्ड के आदेशों और लिखतों के अधिप्रमाणन ; और

(ix) पुनर्नियुक्ति के लिए राज्य बोर्ड के सदस्य की पात्रता,

से संबंधित सरोगेसी अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से है, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित सरोगेसी के संबंध में वैसे ही लागू होंगे मानो वे इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित हों ।

राज्य बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

8. (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, राज्य बोर्ड का, राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा राज्य में क्लीनिकों और बैंकों के लिए अधिकथित नीतियों और योजनाओं का अनुसरण करने का दायित्व होगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य बोर्ड, राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिशों, नीतियों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए,—

(क) सहायताप्राप्त जनन के लिए नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वय करेगा ; और

(ख) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और अन्य कृत्य करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(3) राज्य बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करते हुए ऐसे निदेश देगा या ऐसे आदेश पारित करेगा, जो राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निदेशित किए जाएं ।

इ. राष्ट्रीय रजिस्ट्री और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

क्लीनिकों और बैंकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना ।

9. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक रजिस्ट्री की स्थापना कर सकेगी जिसे भारत में क्लीनिकों और बैंकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री कहा जाएगा ।

राष्ट्रीय रजिस्ट्री की संरचना ।

10. धारा 9 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय रजिस्ट्री ऐसे वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक और सहयोगी कर्मचारिवृंद से मिलकर बनेगी और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

राष्ट्रीय रजिस्ट्री के कृत्य ।

11. राष्ट्रीय रजिस्ट्री, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) यह देश में ऐसे केन्द्रीय डाटाबेस के रूप में कार्य करेगी जिसके माध्यम से नियमित आधार पर देश के सभी क्लीनिकों और बैंकों के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं की प्रकृति और प्रकार भी हैं, सेवाओं के परिणाम और अन्य सुसंगत सूचना अभिप्राप्त किए जाएंगे ;

(ख) यह राष्ट्रीय बोर्ड की, रजिस्ट्री के केन्द्रीय डाटाबेस से सृजित डाटा उपलब्ध करवाकर उसके कार्यकरण में सहायता करेगी ;

(ग) राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा, राष्ट्रीय रजिस्ट्री से सृजित डाटा का नीति और मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने में उपयोग किया जाएगा और वह नवीन अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करने और देश में सहायताप्राप्त जनन के क्षेत्र में और अन्य संबंधित क्षेत्रों में

अनुसंधान करने में सहायक होगा ; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाएं ।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की नियुक्ति ।

12. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक या अधिक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी ।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए एक या अधिक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण,—

(क) जब कोई नियुक्ति संपूर्ण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए की जाएगी तो वह निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, —

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव की पंक्ति का या उससे ऊपर की पंक्ति का कोई अधिकारी – अध्यक्ष, पदेन ;

(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक की पंक्ति का या उससे ऊपर की पंक्ति का कोई अधिकारी – उपाध्यक्ष, पदेन ;

(iii) महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई ख्यातिप्राप्त महिला – सदस्य ;

(iv) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधि विभाग का कोई अधिकारी जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो – सदस्य, पदेन ; और

(v) कोई ख्यातिप्राप्त रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी – सदस्य :

परन्तु उसमें हुई किसी रिक्ति को ऐसी रिक्ति की तारीख से एक मास के भीतर भरा जाएगा ;

(ख) जब कोई नियुक्ति राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग के लिए की जाएगी तो उसमें ऐसी पंक्ति के अधिकारी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ठीक समझे ।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के सदस्य ऐसे प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल प्रतिकरात्मक यात्रा व्यय प्राप्त करेंगे ।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के कृत्य ।

13. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी क्लीनिक या बैंक का रजिस्ट्रीकरण करना, उसका निलंबन या रद्द करना ;

(ख) क्लीनिक या बैंक द्वारा पूरे किए जाने वाले मानकों का प्रवर्तन ;

(ग) इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के भंग से संबंधित शिकायतों का अन्वेषण करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिक कार्रवाई करना ;

(घ) किसी व्यक्ति द्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के विरुद्ध समुचित विधिक कार्रवाई करना और ऐसे मामले में स्वतंत्र अन्वेषण भी प्रारंभ

करना ;

(ङ) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना ;

(च) प्रौद्योगिकी या सामाजिक स्थितियों में परिवर्तनों के अनुसार नियमों और विनियमों में अपेक्षित उपान्तरणों के बारे में राष्ट्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड को सिफारिश करना ;

(छ) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों या बैंकों के विरुद्ध उसे प्राप्त शिकायतों के अन्वेषण के पश्चात् कार्रवाई करना ; और

(ज) ऐसा कोई अन्य कृत्य, जो विहित किया जाए ।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की शक्तियां ।

14. (1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, निम्नलिखित विषयों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को समन करना जिसके कब्जे में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित कोई जानकारी है ;

(ख) खंड (क) से संबंधित किसी दस्तावेज या सारवान् वस्तु को पेश करना ;

(ग) किसी ऐसे स्थान की तलाशी लेना जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन होने का संदेह है ; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो विहित की जाएं ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों के रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, कार्य कराने वाले दंपति और महिला को दिए गए प्रमाणपत्रों या अनुज्ञप्ति देने से संबंधित किसी अन्य विषय और वैसे ही क्लीनिक या बैंकों के ब्यौरे ऐसे रूपविधान में अनुरक्षित करेगा जो विहित किया जाए और उसे राष्ट्रीय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक या सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक का रजिस्ट्रीकरण ।

15. (1) कोई व्यक्ति, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य करने के लिए या किसी रूप में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को करने के लिए किसी क्लीनिक या बैंक की स्थापना तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसा क्लीनिक या बैंक इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत न हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, राज्य बोर्ड के माध्यम से राष्ट्रीय रजिस्ट्री को ऐसे प्ररूप, ऐसी रीति से किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए ।

(3) ऐसा प्रत्येक क्लीनिक या बैंक, जो आंशिक रूप से या अनन्य रूप से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी कर रहा है, राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परंतु ऐसे क्लीनिक और बैंक, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की

समाप्ति पर ऐसे क्लीनिकों और बैंकों द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने और पृथक् रूप से इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत हो जाने तक या ऐसे आवेदन का निपटारा होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कोई ऐसी काउंसलिंग या प्रक्रियाएं नहीं करेंगे ।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी क्लीनिक या बैंक को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे क्लीनिक और बैंक, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की और ऐसे उपस्करों और मानकों, जो विहित किए जाएं, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञ व्यक्तियों की संख्या, भौतिक अवसंरचना और नैदानिक सुविधाएं भी है, के अनुरक्षण की स्थिति में हैं ।

रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना ।

16. (1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, तीस दिन की अवधि के भीतर—

(i) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगी और रजिस्ट्रीकरण संख्या देगी ; या

(ii) यदि ऐसा आवेदन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुरूप नहीं है तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन को नामंजूर करेगी :

परंतु कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदन को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है ।

(2) यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित आवेदन नामंजूर करने में असफल रहती है तो सहायताप्राप्त जननीय क्लीनिक या बैंक को रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण संख्या उपलब्ध करवाएगी ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किए जाने के एक मास की अवधि के भीतर राज्य बोर्ड को ऐसे रजिस्ट्रीकरण की सूचना देगी ।

(4) राज्य बोर्ड इस धारा के अधीन आवेदित और अनुदत्त सभी रजिस्ट्रीकरण के अभिलेख का अनुरक्षण करेगा ।

(5) जब तक राज्य बोर्ड आवेदक के परिसर का निरीक्षण नहीं कर लेता, तब तक कोई रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

(6) इस धारा के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगा ।

रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ।

17. आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर, धारा 16 के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा :

परंतु आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए किसी भी आवेदन को नामंज़ूर नहीं किया जाएगा ।

रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्दकरण ।

18. (1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, शिकायत के प्राप्त होने पर, बैंक या क्लीनिक को यह हेतुक दर्शित करने के लिए कोई सूचना जारी कर सकेगी कि सूचना में उल्लिखित कारणों से उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) यदि बैंक या क्लीनिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, या आवधिक रूप से उनसे जो डाटा प्राप्त हुआ है उससे अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का समाधान नहीं होता है, तो यह किसी दांडिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे निलंबित कर सकेगी या उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगी ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के रद्द होने पर, रद्दकरण पत्र की एक प्रति संबंधित राज्य बोर्ड को प्रेषित की जाएगी और तद्नुसार राज्य बोर्ड ऐसे क्लीनिकों और बैंकों का रजिस्ट्रीकरण रद्द करेगा।

अपील ।

19. क्लीनिक या बैंक या कार्य कराने वाले दंपत्ति या स्त्री, धारा 16 या धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा आवेदन नामंजूर करने या उसके द्वारा पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध—

(क) राज्य सरकार को, जहां अपील किसी राज्य के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार को, जहां अपील किसी संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध है,

ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगी ।

परिसर के निरीक्षण की शक्ति ।

20. राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री और राज्य बोर्ड अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों के निर्वहन में,—

(i) सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी परिसर का निरीक्षण करने ;

(ii) या किसी दस्तावेज़ या सामग्री को मंगाने,

की शक्ति होगी ।

अध्याय 4

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक के कर्तव्य

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों के साधारण कर्तव्य ।

21. क्लीनिक और बैंक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(क) क्लीनिक और बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि, कार्य कराने वाले दंपत्ति, स्त्री और युग्मकों के दाता ऐसे मानदण्ड के अधीन रहते हुए जो विहित किया जाए, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं ;

(ख) क्लीनिक बैंकों से दाता के युग्मकों को प्राप्त करेंगे और ऐसे बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि दाता ऐसे रोगों, जो विहित किए जाएँ, के लिए चिकित्सकीय रूप

से परीक्षित किए गए हों;

(ग) क्लीनिक—

(i) कार्य कराने वाले दंपत्ति और स्त्री को क्लीनिक में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं की सभी विवक्षाओं और सफलता की संभावनाओं के बारे में वृत्तिक परामर्श उपलब्ध कराएंगे;

(ii) कार्य कराने वाले दंपत्ति और स्त्री को प्रक्रियाओं के लाभों, अलाभों और खर्चे, उनके चिकित्सकीय अनुषंगी प्रभावों, बहु गर्भधारण के जोखिम सहित जोखिमों को सूचित करेंगे; और

(iii) कार्य कराने वाले दंपत्ति या स्त्री को ऐसे विषयों के संबंध में ऐसे सूचित निर्णय पर पहुंचने के लिए उनकी सहायता करेंगे जो कार्य कराने वाले दंपत्ति के लिए सर्वोत्तम होना संभाव्य है;

(घ) क्लीनिक सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से जन्मे बच्चे के अधिकारों की जानकारी कार्य कराने वाले दंपत्ति या स्त्री को देंगे ;

(ङ) क्लीनिक और बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि, कार्य कराने वाले दंपत्ति, स्त्री और दाता के बारे में जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और राष्ट्रीय रजिस्ट्री द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले डाटाबेस को, चिकित्सकीय आपात की स्थिति में सिवाय कार्य कराने वाले ऐसे कार्य कराने वाले दंपत्ति के अनुरोध पर, जिससे जानकारी संबंधित है या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के आदेश द्वारा किसी को भी प्रकट नहीं की जाएगी;

(च) प्रत्येक क्लीनिक और प्रत्येक बैंक ऐसे क्लीनिकों और बैंकों से संबंधित विषयों के संबंध में एक शिकायत प्रकोष्ठ अनुरक्षित करेंगे और ऐसे शिकायत प्रकोष्ठ के समक्ष की जाने वाली शिकायत की रीति वह होगी, जो विहित की जाए;

(छ) क्लीनिक निम्नलिखित के लिए सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सेवाओं को लागू करेंगे,—

(i) विवाह की विधिक आयु से ऊपर और पचास वर्ष की आयु से नीचे की स्त्री के लिए ;

(ii) विवाह की विधिक आयु से ऊपर और पचपन वर्ष की आयु से नीचे के पुरुष के लिए ;

(ज) क्लीनिक कार्य कराने वाले दंपत्ति या स्त्री पर निष्पादित की गई सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के ब्यौरे देते हुए उन्मोचन प्रमाणपत्र कार्य कराने वाले दंपत्ति या स्त्री को जारी करेंगे ;

(झ) सभी क्लीनिक और बैंक सहयोग करेंगे और राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री और राज्य बोर्डों के द्वारा वास्तविक निरीक्षण के लिए अपने परिसर को उपलब्ध कराएंगे;

(ञ) सभी क्लीनिक और बैंक निम्नलिखित से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे,—

(i) कार्य कराने वाले दंपत्ति, स्त्री और युग्मक दाताओं का नामांकन ;

(ii) की जा रही प्रक्रिया ; और

(iii) प्रक्रिया के परिणाम, जटिलताएं, यदि कोई हों, राष्ट्रीय रजिस्ट्री को, आवधिक रूप से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए ।

सूचित की गई लिखित सहमति ।

22. (1) क्लीनिक निम्नलिखित के बिना कोई उपचार या प्रक्रिया संपादित नहीं करेगा,—

(क) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी की ईप्सा करने वाले सभी पक्षकारों की लिखित सहमति के बिना ;

1999 का 41

(ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी बीमा कंपनी या किसी अभिकर्ता से कार्य कराने वाले दंपति या स्त्री द्वारा डिम्बाणुजन कोशिका दाता के पक्ष में ऐसी रकम का और ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, एक बीमा आवरण के बिना ।

(2) कोई क्लीनिक या बैंक, किसी पक्षकार की असमर्थता या मृत्यु की स्थिति में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी की ईप्सा करने वाले सभी पक्षकारों की लिखित सहमति और विनिर्दिष्ट अनुदेशों के बिना कोई मानव भ्रूण या युग्मक निम्न तापमान पर परिरक्षित नहीं करेगा ।

(3) क्लीनिक, सिवाय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, किसी मानव प्रजनन सामग्री का उपयोग, किसी प्रयोजन के लिए मानव भ्रूण का सृजन या इनविट्रो मानव भ्रूण का उपयोग उन सभी संबंधित व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट लिखित सहमति के बिना नहीं करेंगे जिनसे सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी संबंधित है ।

(4) कोई भी कार्य कराने वाले दंपति युग्मकों या मानव भ्रूणों के संबंधित स्त्री के गर्भाशय में अंतरित होने के पूर्व किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन उसका या उसकी सहमति वापस ले सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "क्रायो-प्रिजर्व" पद से युग्मकों, युग्मनजों और भ्रूणों का भंडारण और फ्रीजिंग अभिप्रेत है ;

(ii) "बीमा" पद से ऐसा ठहराव अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई कंपनी, व्यष्टि या कार्य कराने वाले दंपति डिम्बाणुजन कोशिका के पुनःस्थापन की प्रक्रिया के दौरान विनिर्दिष्ट डिम्बाणुजन कोशिका दाता की हानि, नुकसान, जटिलता या मृत्यु के लिए प्रतिकर की गारंटी देने का वचन देता है ;

(iii) "पक्षकार" पद के अंतर्गत कार्य कराने वाले दंपति या स्त्री और दाता सम्मिलित है ।

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों का सही अभिलेखों को रखने का कर्तव्य ।

23. क्लीनिकों और बैंकों से संबंधित अभिलेखों को रखते समय ऐसे क्लीनिकों और बैंकों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे,—

(क) सभी क्लीनिक और बैंक डिम्बाणुजन कोशिका दाताओं, प्रयुक्त या अप्रयुक्त शुक्राणु या भ्रूण का, उनके प्रयोग की रीति और तकनीक का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विस्तृत अभिलेख रखेंगे ;

(ख) सभी क्लीनिक और बैंक राष्ट्रीय रजिस्ट्री को, जब भी स्थापित की जाती है,

निम्नलिखित ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत करेंगे,—

(i) कार्य कराने वाले दंपति या स्त्री की प्रगति के संबंध में उनके पास उपलब्ध सभी सूचनाएं ; और

(ii) दाताओं (शुक्राणु और डिम्बाणुजन कोशिका) की संख्या के बारे में स्क्रीन की गई, अनुरक्षित और प्रदाय की गई तथा समरूप सूचनाएं, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर राष्ट्रीय रजिस्ट्री को प्रस्तुत करेंगे;

(ग) खंड (क) के अधीन अनुरक्षित अभिलेख कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित किए जाएंगे जिसकी समाप्ति पर क्लीनिक और बैंक अभिलेखों को राष्ट्रीय रजिस्ट्री के केंद्रीय डाटाबेस को अंतरित करेंगे :

परंतु यदि किसी क्लीनिक या बैंक के विरूद्ध कोई आपराधिक या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित हैं तो ऐसी क्लीनिकों या बैंकों के अभिलेख और सभी अन्य दस्तावेजों को ऐसी कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा होने तक संरक्षित रखा जाएगा ;

(घ) खंड (ग) के अधीन दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी क्लीनिक या बैंक के बंद होने की दशा में ऐसे क्लीनिक और बैंक अभिलेखों को तुरंत राष्ट्रीय रजिस्ट्री के केंद्रीय डाटाबेस को अंतरित करेंगे ;

(ङ) सभी ऐसे अभिलेखों को, सभी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय रजिस्ट्री या राज्य बोर्ड या राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा ।

मानव युग्मकों और भ्रूणों का प्रयोग करने वाले सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों के कर्तव्य ।

24. क्लीनिकों और बैंकों द्वारा, मानव युग्मकों और भ्रूणों का प्रयोग करते समय पालन किए जाने वाले कर्तव्य इस प्रकार से हैं,—

(क) क्लीनिक ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, डिम्बाणुजन कोशिका एकत्र करेंगे ;

(ख) उपचार चक्र के दौरान स्त्री के गर्भाशय में रखे जाने वाले डिम्बाणुजन कोशिका या भ्रूणों की संख्या वह होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ग) कोई स्त्री किसी एक उपचार चक्र के दौरान एक से अधिक पुरुष या स्त्री से लिए गए युग्मकों या भ्रूणों से उपचारित नहीं की जाएगी ;

(घ) क्लीनिक इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के लिए दो व्यष्टियों से लिए गए वीर्य को कभी नहीं मिलाएगा ;

(ङ) उपलब्ध भ्रूणों की संख्या की वृद्धि करने के लिए भ्रूणों को विभाजित और युग्मन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा ;

(च) मरणोपरांत युग्मकों का संग्रह केवल तभी किया जाएगा जब कार्य कराने वाले दंपति की पूर्व सहमति उपलब्ध है ;

(छ) क्लीनिक ऐसे अंडाणु का प्रयोग नहीं करेगा जो इन-विट्रो निषेचन की किसी प्रक्रिया में किसी गर्भ से लिया गया है ; और

(ज) अन्य ऐसे कर्तव्य, जो विहित किए जाएं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "निषेचन" पद से शुक्राणु द्वारा अंडाणु का वेधन और आनुवंशिक सामग्रियों का संयोजन अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप युग्मनज का विकास होता है ;

(ii) "गर्भ" पद से निषेचन के पश्चात् सत्तावनवें दिन से प्रारम्भ होने वाली और शिशु के जन्म या गर्भपात पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विकसित होने वाला मानवीय जीव अभिप्रेत है ।

पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक निदान ।

25. (1) मानव भ्रूण की स्क्रीनिंग हेतु पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक परीक्षण का प्रयोग ज्ञात, पूर्व विद्यमान आनुवंशिक या वंशानुगत रोगों या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक निदान के पश्चात् एक भ्रूण का दान अनुमोदित अनुसंधान प्रयोगशाला को अनुसंधान के प्रयोजन के लिए केवल—

(क) कार्य कराने वाले दंपति या स्त्री के अनुमोदन से ; और

(ख) जब भ्रूण पूर्व-विद्यमान, वंशानुगत, जीवन-संकट या आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त हो,

तब ही किया जाएगा ।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड ऐसी अन्य शर्तों को प्रतिपादित कर सकेगा जो यह पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक परीक्षण के हित में ठीक समझे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —

(i) "पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक निदान" पद से अभिप्रेत है, ऐसा आनुवंशिक निदान, जब एक या दोनों आनुवंशिक माता-पिता एक ज्ञात आनुवंशिक असामान्यता वाले हों और भ्रूण पर परीक्षण यह अवधारित करने के लिए निष्पादित हुआ है कि क्या यह भी एक आनुवंशिक असामान्यता का वहन करता है ;

(ii) "पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक परीक्षण" पद से अभिप्रेत है, ऐसी तकनीक, जो गर्भधारण के पूर्व इन-विट्रो निषेचन के माध्यम से सृजित भ्रूणों में आनुवंशिक कमियों की पहचान करने के लिए प्रयुक्त हुई है ।

लिंग चयन ।

26. (1) गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, क्लीनिक किसी दंपति या स्त्री को पूर्व निर्धारित लिंग के शिशु को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव नहीं करेगा ।

1994 का 57

(2) यह किसी के लिए भी प्रतिषिद्ध होगा कि वह एक्स या वाई विविधताओं के शुक्राणुओं में संवर्धित विखंडन को पृथक् या उत्पन्न करके सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया के माध्यम से जन्म लेने वाले शिशु के लिंग का निर्धारण करने के लिए, किसी प्रक्रम पर कोई कार्य करे ।

(3) कोई व्यक्ति निदान, निवारण या किसी लिंग संबंधी रोग या व्याधि के उपचार के सिवाय, जानबूझकर कोई भी ऐसी चीज न तो प्रदान करेगा, न विहित करेगा या न ही दवा देगा जो इस बात की संभावना को सुनिश्चित करे या उसकी वृद्धि करे कि कोई भ्रूण एक

विशिष्ट लिंग का है या वह एक इन-विट्रो भ्रूण के लिंग की पहचान करेगा ।

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों द्वारा युग्मकों का स्रोत ।

27. (1) युग्मक दाताओं की स्क्रीनिंग, वीर्य के संग्रहण, स्क्रीनिंग और भंडारण और डिम्बाणुजन कोशिका दाता का उपबंध केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में रजिस्ट्रीकृत बैंक के द्वारा ही किया जाएगा ।

(2) बैंक—

(क) इक्कीस वर्ष की आयु और पचपन वर्ष की आयु, जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, के बीच के पुरुषों से वीर्य को प्राप्त करेंगे ;

(ख) तेईस वर्ष की आयु और पैंतीस वर्ष की आयु के बीच की स्त्रियों से डिम्बाणुजन कोशिकाओं को प्राप्त करेंगे ; और

(ग) दाताओं की ऐसे रोगों के लिए परीक्षा करेंगे, जो विहित किए जाएं ।

(3) कोई बैंक एकल दाता के शुक्राणु या डिम्बाणुजन कोशिका को एक से अधिक कार्य कराने वाले दंपत्ति को प्रदान नहीं करेगा ।

(4) एक डिम्बाणुजन कोशिका दाता सदैव विवाहित स्त्री होगी और न्यूनतम तीन वर्ष की आयु का उसका स्वयं का कम से कम एक जीवित बच्चा होगा और वह अपने जीवन में केवल एक बार डिम्बाणुजन कोशिका का दान करेगी और डिम्बाणुजन कोशिका दाता से सात से अधिक डिम्बाणुजन कोशिका का प्रतिनियन नहीं किया जाएगा ।

(5) बैंकों द्वारा सभी अप्रयुक्त डिम्बाणुजन कोशिकाएं उसी प्राप्तिकर्ता पर उपयोग के लिए परिरक्षित की जाएंगी या कार्य कराने वाले दंपत्ति से लिखित सहमति लेने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संगठन को अनुसंधान के लिए दी जाएगी ।

(6) बैंक शुक्राणु या डिम्बाणुजन कोशिका दाता के संबंध में ऐसे दाता के नाम, पहचान और पता सहित सभी आवश्यक जानकारी ऐसी रीति में प्राप्त करेगा जो विहित की जाए और ऐसे दाता से ऐसी जानकारी की गोपनीयता के बारे में लिखित में वचनबंध लेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "डिम्बाणुजन कोशिका" से किसी स्त्री के आनुवंशिक भाग में डिम्बाणुजन कोशिका का प्राकृतिक रूप से डिंबोत्सर्ग अभिप्रेत है ;

(ii) "प्रतिनियन (रिट्रीवल)" पद से किसी स्त्री के गर्भाशय से डिम्बाणुजन कोशिका को निकालने की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(iii) "स्क्रीनिंग" पद से इन-विट्रो निषेचन के माध्यम से उत्पन्न भ्रूणों पर निष्पादित आनुवंशिक परीक्षण अभिप्रेत है ।

मानव युग्मकों और भ्रूणों का भंडारण और उनको संभालना ।

28. (1) युग्मकों, जननग्रंथि ऊतकों और मानव भ्रूणों की सुरक्षा, अभिलेखन और पहचान के संबंध में भंडारण और उनको संभालने के लिए मानक ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं ।

(2) दाता का युग्मक या भ्रूण दस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए भंडारित किया जाएगा और ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसे भ्रूण या युग्मक को नष्ट करने या कार्य कराने वाले दंपत्ति या व्यष्टि की सहमति से अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अनुसंधान संगठन को दान करने हेतु ऐसी रीति से अनुज्ञात

किया जाएगा जो विहित की जाए ।

मानव युग्मकों, युग्मजों और भ्रूणों के विक्रय पर निर्बंधन ।

29. युग्मकों, युग्मजों और भ्रूणों या उनके किसी भाग या उनसे संबंधित किसी सूचना का, राष्ट्रीय बोर्ड की अनुमति से व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्वयं के युग्मकों और भ्रूणों के अंतरण की दशा के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पक्षकार को भारत के भीतर या बाहर विक्रय, अंतरण या प्रयोग प्रतिषिद्ध है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "युग्मज" पद से पहली कोशिका विभाजन के पूर्व निषेचित डिम्बाणुजन कोशिका अभिप्रेत है ।

मानव भ्रूण और युग्मकों पर अनुसंधान ।

30. (1) किन्हीं मानव युग्मकों और भ्रूणों का उपयोग या भारत के बाहर किसी देश को अनुसंधान के लिए उनका अंतरण पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध है ।

(2) मानव भ्रूण या युग्मकों का अनुसंधान भारत के भीतर केवल ऐसी रीति से निष्पादित किया जाएगा जो विहित की जाए ।

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन्मे बच्चे का अधिकार ।

31. (1) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन्मा बच्चा कार्य कराने वाले दंपत्ति का जैविक बच्चा समझा जाएगा और उक्त बच्चा ऐसे सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन केवल कार्य कराने वाले दंपत्ति से उत्पन्न प्राकृतिक बच्चे को उपलब्ध हैं ।

(2) दाता उस बच्चा या बच्चे, जिसे उसकी या उसके युग्मक से जन्म दिया गया है, के ऊपर सभी जनकीय अधिकारों का परित्याग करेगा ।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

चयनात्मक लिंग सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी ।

32. (1) कोई क्लीनिक या बैंक या उसका अभिकर्ता चयनात्मक लिंग सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी की सुविधाओं के संबंध में इंटरनेट सहित किसी भी रीति से कोई विज्ञापन जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करेगा या जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करवाएगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

अपराध और शास्तियां ।

33. (1) कोई चिकित्सा आनुवंशिकीविद्, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई व्यक्ति—

(क) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन्मे बालक या बालकों को किसी भी रूप में परित्यक्त, अस्वीकार या उनका शोषण नहीं करेगा या परित्यक्त, अस्वीकार या उनका शोषण करना कारित नहीं करवाएगा ;

(ख) मानव भ्रूण या युग्मकों का विक्रय नहीं करेगा, मानव भ्रूणों या युग्मकों के क्रय, विक्रय या व्यापार के लिए कोई अभिकरण, रैकेट या संगठन नहीं चलाएगा ;

(ग) मानव भ्रूण या मानव युग्मकों का आयात या चाहे किसी भी रीति से उनको आयातित करने में सहायता नहीं करेगा ;

(घ) किसी भी रूप में कार्य कराने वाले दंपत्ति, स्त्री या युग्मक दाता का शोषण

नहीं करेगा ;

(ङ) मानव भ्रूण को पुरुष व्यक्ति या किसी पशु में अंतरित नहीं करेगा ;

(च) अनुसंधान के प्रयोजन के लिए किसी मानव भ्रूण या युग्मक का विक्रय नहीं करेगा ; या

(छ) युग्मक दाताओं को प्राप्त करने के लिए या युग्मक दाताओं को खरीदने के लिए किसी मध्यस्थ का उपयोग नहीं करेगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (छ) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पहली बार उल्लंघन के लिए दस लाख रुपए तक हो सकेगा, से दंडनीय होगा और पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि आठ वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो बारह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो बीस लाख रुपए तक हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।

अधिनियम या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड, जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है ।

34. जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का या उसके अधीन बनाए गए किसी नियमों का उल्लंघन करेगा, जिनके लिए इस अधिनियम में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, वह धारा 33 की उपधारा (2) के अनुसार दंडनीय होगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

35. (1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान राष्ट्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय नहीं करेगा ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना ।

36. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे ।

क्लीनिकों या बैंकों द्वारा अपराध ।

37. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी क्लीनिक या बैंक द्वारा किया गया है, वहां ऐसे क्लीनिक या बैंक का कार्यकारी प्रमुख उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक वह यह साबित नहीं करता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी क्लीनिक या बैंक द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध क्लीनिक या बैंक के कार्यकारी प्रमुख से भिन्न, किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां वह अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा

और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

राष्ट्रीय बोर्ड और राष्ट्रीय रजिस्ट्री को निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

38. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में आवश्यक समझे ।

(2) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या अपने कृत्यों का पालन करने में, नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होंगे जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उसे समय-समय पर लिखित में दे :

परंतु राष्ट्रीय बोर्ड को, यथासाध्य उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय बोर्ड के बीच इस बारे में विवाद उद्भूत होता है कि क्या कोई प्रश्न नीति विषयक है अथवा नहीं, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

राज्य सरकार की राज्य बोर्ड को निदेश देने की शक्ति ।

39. (1) राज्य सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकार के संबंध में, राज्य बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में आवश्यक समझे ।

(2) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या अपने कृत्यों का पालन करने में, नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर लिखित में दे :

परंतु राज्य बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को, यथासाध्य उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(3) यदि राज्य सरकार और राज्य बोर्ड के बीच इस बारे में कोई विवाद उद्भूत होता है कि क्या प्रश्न नीति विषयक है अथवा नहीं, तो इस बारे में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति ।

40. (1) यदि राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री या राज्य बोर्ड को यह विश्वास करने का कोई कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सुविधा का उपयोग करते हुए किया गया है या किया जा रहा है तो ऐसा बोर्ड या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सभी युक्तियुक्त समयों पर, ऐसी सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली सुविधाओं की ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जिसे ऐसा बोर्ड या अधिकारी आवश्यक समझे, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और वहां पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, पुस्तक, पुस्तिका, विज्ञापन या किसी अन्य भौतिक पदार्थ की

परीक्षा कर सकेगा और उसे अभिगृहीत करेगा, यदि उक्त बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के किए जाने का साक्ष्य मिल सकता है ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन ली गई तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे । 1974 का 2

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

41. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय रजिस्ट्री या राज्य बोर्ड या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय रजिस्ट्री या राज्य बोर्ड या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

42. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 5 के खंड (छ) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन राज्य बोर्ड की अन्य शक्तियां और कृत्य ;

(ग) धारा 10 के अधीन राष्ट्रीय रजिस्ट्री के वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ;

(घ) धारा 11 के खंड (घ) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्ट्री के अन्य कृत्य ;

(ङ) धारा 13 के खंड (ज) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के अन्य कृत्य ;

(च) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां ;

(छ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा क्लीनिक या बैंक को अनुज्ञप्ति देने का रूपविधान ;

(ज) वह प्रक्रिया और प्ररूप जिसमें धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा और उसके लिए संदेय फीस ;

(झ) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन क्लीनिकों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं और उनके द्वारा अनुरक्षित उपस्कर ;

(ञ) धारा 17 के अधीन क्लीनिक या बैंक के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की शर्तें, उसके लिए आवेदन का प्ररूप और फीस ;

(ट) वह अवधि, प्ररूप और रीति जिसमें धारा 19 के अधीन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को अपील की जा सकेगी ;

(ठ) धारा 21 के खंड (क) के अधीन सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का उपभोग करने के लिए मानदंड ;

(ड) उन रोगों की चिकित्सीय परीक्षा जिनके संबंध में दाता की धारा 21 के खंड (ख) के अधीन परीक्षा की जाएगी ;

(ढ) धारा 21 के खंड (च) के अधीन शिकायत तंत्र के समक्ष शिकायत करने की रीति और क्लीनिक द्वारा अंगीकृत तंत्र ;

(ण) धारा 21 के खंड (ञ) के उपखंड (iii) अधीन क्लीनिकों और बैंकों द्वारा राष्ट्रीय रजिस्ट्री को सूचना उपलब्ध कराने की रीति ;

(त) धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन डिंबाणुजन कोशिकादाता के लिए बीमा आवरण की रकम और बीमे की अवधि ;

(थ) धारा 23 के खंड (क) के अधीन क्लीनिकों और बैंकों द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण की रीति ;

(द) धारा 24 के खंड (ज) के अधीन क्लीनिकों के अन्य कर्तव्य ;

(ध) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन पूर्वगर्भ रोपण आनुवंशिक परीक्षण का उपयोग करने के अन्य प्रयोजन ;

(न) धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन ऐसे रोगों के लिए सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों द्वारा दाताओं की परीक्षा ;

(प) धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन बैंक द्वारा शुक्राणु या डिंबाणुजन के कोशिका दाता के संबंध में सूचना अभिप्राप्त करने की रीति ;

(फ) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन युग्मकों, मानव भ्रूणों की सुरक्षा अभिलेखन, पहचान के संबंध में उनके भंडारण और उन्हें संभाल कर रखने के लिए मानक ;

(ब) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन किसी दाता के युग्मकों या भ्रूण नष्ट करने के लिए कार्य कराने वाले दंपत्ति या व्यष्टि की सहमति अभिप्राप्त करने की रीति ;

(भ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन मानव भ्रूण पर अनुसंधान ;

(म) धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री या राज्य बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रवेश करने और तलाशी की रीति ;

विनियम बनाने की शक्ति ।

43. (1) राष्ट्रीय बोर्ड, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा—

(क) धारा 24 के खंड (क) के अधीन डिम्बाणुजन कोशिकाओं के संचयन की रीति ;

(ख) धारा 24 के खंड (ख) के अधीन डिम्बाणुजन कोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या ;

(ग) कोई अन्य विषय, जिसका विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित

है या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित हो ।

नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

44. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम और विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम और विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु, यथास्थिति, नियम या विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना ।

45. इस अधिनियम के उपबंध गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 और नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में । 1994 का 57 2010 का 23

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

46. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों या उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पिछले कुछ वर्षों से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ है । भारत में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी केन्द्रों का उच्चतर विकास हुआ है और प्रत्येक वर्ष अनेक सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी संबंधी चक्रों का निष्पादन किया जाता है । इन-विट्रो- गर्भाधान सहित सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी ने बांझता से ग्रस्त अनेक व्यक्तियों में न केवल एक आशा पैदा की है अपितु इसने विधिक, नैतिक और सामाजिक मुद्दों को भी विस्तार से सम्मिलित किया है ।

2. कुछ वर्षों से भारत उपयुक्त महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में जननीय चिकित्सा पर्यटन के साथ इस वैश्विक जननक्षमता उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र बन गया है । भारत में क्लीनिक, युग्मक दान, अतः गर्भाशय कृत्रिम वीर्य सेचन, इन-विट्रो-गर्भाधान, अंतःसाइटोप्लाज्मिक शुक्राणु प्रवेशन, पूर्व-गर्भरोपण आनुवंशिक नैदानिकी और सगर्भता सेरोगेसी सहित लगभग सभी सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं । तथापि, भारत में इतने अत्याधिक क्रियाकलाप होने के बावजूद भी अभी तक किसी आचार संहिता का मानकीकरण नहीं किया गया है और इस बारे में रिपोर्ट करना अभी भी अपर्याप्त है । इसके अतिरिक्त सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी को विनियमित करने हेतु कोई विधि नहीं है और इसका विनियमन मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से किया जाता है ।

3. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं को विनियमित करने की आवश्यकता मुख्य रूप से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को शोषण से संरक्षित करने के लिए है । डिंबाणुजन कोशिका दाता को एक बीमा कवर द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता है । अनेक भ्रूण रोपण को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन्मे बालकों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है । सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों द्वारा शुक्राणु, डिंबाणुजन कोशिकाओं और भ्रूण का हिम ताप पर संरक्षण को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है और प्रस्तावित विधान का आशय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से बालक के जन्म का फायदा लेने हेतु पूर्व-गर्भ-रोपण आनुवंशिक परीक्षण को अनिवार्य बनाया जाना है ।

4. राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री राज्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण स्थापित करके सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों को विनियमित करने की और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण, सहायताप्राप्त जननीय सेवाओं के दुरूपयोग के निवारण तथा उनका सुरक्षित और नैतिक व्यवसाय करने की आवश्यकता है ।

5. प्रस्तावित विधान अर्थात् सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 में, देश में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं को विनियमित किए जाने का प्रस्ताव है । विधेयक की मुख्य बातें निम्नलिखित है—

(क) "सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी", "सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक", "कार्य कराने वाला दंपति", "स्त्री" आदि जैसे कतिपय पदों को परिभाषित करना ;

(ख) यह उपबंध करना कि राष्ट्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड वही बोर्ड होंगे जो

सेरोगेसी विधेयक में प्रस्तावित है ;

(ग) यह उपबंध करना कि प्रस्तावित विधान के अधिनियमन की तारीख को आंशिक रूप से या अनन्य रूप से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाएं करने वाले विद्यमान सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को आवेदन करेंगे ;

(घ) यह उपबंध करना कि सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सेवाएं विवाह की विधिक आयु से ऊपर और पचास वर्ष से नीचे की आयु की स्त्री को और विवाह की विधिक आयु के ऊपर और पचपन वर्ष से नीचे की आयु के पुरूष को उपलब्ध होंगी ;

(ङ) यह उपबंध करना कि डिंबाणुजन कोशिका दाता सदैव विवाहित स्त्री होगी और न्यूनतम तीन वर्ष की आयु का उसका स्वयं का कम से कम एक जीवित बालक होगा और वह अपने जीवन में केवल एक बार डिंबाणुजन कोशिका का दान करेगी और डिंबाणुजन कोशिका दाता से सात से अधिक डिंबाणुजन कोशिका का प्रतिनयन नहीं किया जाएगा ;

(च) यह उपबंध करना कि सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक कार्य कराने वाले दंपत्ति और स्त्री को क्लीनिक में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं की सभी विवक्षाओं और सफलता की संभावनाओं के बारे में वृत्तिक परामर्श उपलब्ध कराएंगे और वे प्रक्रियाओं के लाभों, अलाभों और खर्चे, उनके चिकित्सीय अनुषंगी प्रभावों, बहु गर्भधारण के जोखिमों सहित जोखिमों को भी सूचित करेंगे और ऐसे अन्य विषयों के संबंध में ऐसे सूचित निर्णय पर पहुंचने के लिए उनकी सहायता करेंगे जो कार्य कराने वाले दंपत्ति और स्त्री के लिए सर्वोत्तम संभाव्य होगा ;

(छ) यह उपबंध करना कि सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य कराने वाला दंपत्ति, स्त्री और युग्मकों के दाता सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं ;

(ज) इसके उपबंधों के उल्लंघन के लिए अपराधों और शास्तियों का उपबंध करना ।

6. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

7. विधेयक, उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
12 मार्च, 2020

डा. हर्ष वर्धन

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित है ।

खंड 2—यह खंड प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषाओं को अंतर्विष्ट करता है ।

खंड 3—यह खंड अंतर्विष्ट करता है कि सरोगेसी अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित किया जाने वाला राष्ट्रीय बोर्ड प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड होगा ।

खंड 4—यह खंड उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(i) राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन ;

(ii) राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों की पदावधि ;

(iii) राष्ट्रीय बोर्ड की बैठकों ;

(iv) रिक्तियों आदि से राष्ट्रीय बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होने ;

(v) राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निर्हताओं ;

(vi) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के साथ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से सहयोजित करने ;

(vii) राष्ट्रीय बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ; और

(viii) पुनःनियुक्ति के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों की पात्रता, से संबंधित सरोगेसी अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से है, यथावश्यक परिवर्तन सहित सरोगेसी के संबंध में वैसे ही लागू होंगे मानो वे प्रस्तावित विधान के अधीन अधिनियमित हों ।

खंड 5—यह खंड राष्ट्रीय बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों से संबंधित है और राष्ट्रीय बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से संबंधित नीति संबंधी विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(ख) प्रस्तावित विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना और मानीटर करना तथा केन्द्रीय सरकार को उनमें कोई उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए सिफारिश करना ;

(ग) क्लीनिकों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आचार संहिता अधिकथित करना, भौतिक अवसंरचना, प्रयोगशाला और नैदानिक उपस्कर तथा क्लीनिकों और बैंकों द्वारा नियोजित विशेषज्ञ मानव शक्ति के लिए न्यूनतम मानक निश्चित करना ;

(घ) प्रस्तावित विधान के अधीन गठित विभिन्न निकायों के कार्य का निरीक्षण करना और उसकी प्रभावी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करना ;

(ङ) राष्ट्रीय रजिस्ट्री के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना और राज्य बोर्डों के साथ संपर्क बनाना ;

(च) प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए उपबंधों के अनुसार आदेश पारित करना ; और

(छ) ऐसे कोई अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

खंड 6—यह खंड उपबंध करता है कि सरोगेसी अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन गठित किया जाने वाला राज्य बोर्ड, प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए राज्य बोर्ड होगा ।

खंड 7—यह खंड उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(i) राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन ;

(ii) राज्य बोर्ड की संरचना ;

(iii) राज्य बोर्ड के सदस्यों की पदावधि ;

(iv) राज्य बोर्ड की बैठकों ;

(v) रिक्तियों, आदि से राज्य बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न हो ;

(vi) राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताओं ;

(vii) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य बोर्ड से व्यक्तियों के अस्थायी सहयोजन ;

(viii) राज्य बोर्ड के आदेशों और लिखतों के अधिप्रमाणन ; और

(ix) पुनर्नियुक्ति के लिए राज्य बोर्ड के सदस्य की पात्रता,

से संबंधित सरोगेसी अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से है, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित सरोगेसी के संबंध में वैसे ही लागू होंगे मानो वे प्रस्तावित विधान के अधीन अधिनियमित हों ।

खंड 8—यह खंड उपबंध करता है कि, अन्य बातों के साथ राज्य बोर्ड—

(क) सहायताप्राप्त जनन के लिए नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वय करेगा; और

(ख) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और अन्य कृत्य करेगा, जो विहित किए जाएं ।

इस खंड का उपखंड (3) उपबंध करता है कि राज्य बोर्ड, प्रस्तावित विधान के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करते हुए ऐसे निदेश देगा या ऐसे आदेश पारित करेगा, जो राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निदेशित किए जाएं ।

खंड 9—यह खंड क्लीनिकों और बैंकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना का उपबंध करता है ।

खंड 10—यह खंड राष्ट्रीय रजिस्ट्री की संरचना का उपबंध करता है ।

खंड 11—यह खंड रजिस्ट्रीकरण के कृत्यों का उपबंध करता है ।

खंड 12—यह खंड रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की नियुक्ति का उपबंध करता है ।

खंड 13—यह खंड रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के कृत्यों का उपबंध करता है ।

खंड 14—यह खंड रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की शक्तियों का उपबंध करता है ।

खंड 15—यह खंड सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक या सहायता प्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी बैंक के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है ।

खंड 16—यह खंड सहायताप्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी क्लीनिक या बैंक के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है ।

खंड 17—यह खंड, खंड 16 के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का उपबंध करता है ।

खंड 18—यह खंड क्लीनिकों या बैंकों को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण का उपबंध करता है ।

खंड 19—यह खंड क्लीनिक या बैंक या कार्य कराने वाले दंपत्ति या स्त्री द्वारा अपील का उपबंध करता है ।

खंड 20—यह खंड राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री, राज्य बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की शक्तियों का उपबंध करता है ।

खंड 21—यह खंड सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक और बैंकों के साधारण कर्तव्यों का उपबंध करता है ।

खंड 22—यह खंड, अन्य बातों के साथ, सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी चाहने वाले सभी पक्षकारों की लिखित सहमति का उपबंध करता है ।

खंड 23—यह खंड सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी कलीनिकों और बैंकों का सही अभिलेखों को रखने के कर्तव्य का उपबंध करता है ।

खंड 24—यह खंड मानव युग्मकों और भ्रूणों का प्रयोग करने वाले सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों के कर्तव्यों का उपबंध करता है ।

खंड 25—यह खंड पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक निदान से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) उपबंध करता है कि मानव भ्रूण की स्क्रीनिंग हेतु पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक परीक्षण का प्रयोग ज्ञात, पूर्व विद्यमान आनुवंशिक या वंशानुगत रोगों या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।

इस खंड का उपखंड (2) उपबंध करता है कि पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक निदान के पश्चात् एक भ्रूण का दान अनुमोदित अनुसंधान प्रयोगशाला को अनुसंधान के प्रयोजन के लिए केवल (क) कार्य कराने वाले दंपत्ति के अनुमोदन से ; और (ख) जब भ्रूण पूर्व-विद्यमान, वंशानुगत, जीवन-संकट या आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त हो, तब ही किया जाएगा ।

इस खंड का उपखंड (3) उपबंध करता है कि राष्ट्रीय बोर्ड ऐसी अन्य शर्तों को प्रतिपादित कर सकेगा जो यह पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक परीक्षण के हित में ठीक समझे ।

खंड 26—यह खंड लिंग चयन का प्रतिषेध करता है ।

खंड 27—यह खंड सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों द्वारा युग्मकों के स्त्रोत का उपबंध करता है ।

खंड 28—यह खंड मानव युग्मकों और भ्रूणों का भण्डारण और उनकों संभालने का

उपबंध करता है ।

खंड 29—यह खंड उपबंध करता है कि युग्मकों, युग्मजों और भ्रूणों या उनके किसी भाग या उनसे संबंधित किसी सूचना का, राष्ट्रीय रजिस्ट्री की अनुमति से व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्वयं के युग्मकों और भ्रूणों के अंतरण की दशा के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पक्षकार को भारत के भीतर या बाहर विक्रय, अंतरण या प्रयोग प्रतिषिद्ध है ।

खंड 30—यह खंड मानव भ्रूण और युग्मकों पर अनुसंधान का उपबंध करता है ।

खंड 31—यह खंड सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन्मे बच्चे के अधिकार का उपबंध करता है ।

खंड 32—यह खंड, अन्य बातों के साथ, चयनात्मक लिंग सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के प्रतिषेध का उपबंध करता है ।

खंड 33—यह खंड अपराधों और शास्तियों का उपबंध करता है ।

खंड 34—यह खंड प्रस्तावित विधान के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए, जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गायै है, दंड का उपबंध करता है ।

खंड 35—यह खंड अपराधों के संज्ञान का उपबंध करता है ।

खंड 36—यह खंड उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अदीन सभा अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे ।

खंड 37—यह खंड क्लीनिकों या बैंकों द्वारा अपराध का उपबंध करता है ।

खंड 38—यह खंड, अन्य बातों के साथ, राष्ट्रीय बोर्ड को निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करता है ।

खंड 39—यह खंड, अन्य बातों केसाथ राज्य बोर्ड को निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध करता है

खंड 40—यह खंड तलाशी लेने और अभिलेखों आदि के अभिग्रहण की शक्ति का उपबंध करता है ।

खंड 41—यह खंड सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध करता है ।

खंड 42—यह खंड प्रस्तावित विधान के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने हेतु सशक्त करने का उपबंध करता है ।

खंड 43—यह खंड राष्ट्रीय बोर्ड को प्रस्तावित विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बनाने के लिए सशक्त करने का उपबंध करता है ।

खंड 44—यह खंड अपेक्षा करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए नियम, विनियम और जारी की गई अधिसूचनाएं संसद के समक्ष रखा जाएंगे ।

खंड 45—यह खंड उपबंध करता है कि अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं होगा ।

खंड 46—यह खंड केन्द्रीय सरकार की कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियम) विधेयक, 2020 में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सेवाओं के दुरूपयोग के निवारण, उनका सुरक्षित और नैतिक व्यवसाय करने का प्रस्ताव किया गया है । प्रस्तावित विधान, ऐसी रीति में विरचित किया गया है जो राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री, राज्य बोर्डों और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरणों का केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर सृजन करने के साथ प्रभावी विनियम को सुनिश्चित करता है ।

2. विधेयक का खंड 3 यह उपबंध करता है कि सेरोगेसी अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित किया जाने वाला राष्ट्रीय बोर्ड प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड होगा ।

3. विधेयक का खंड 6 यह उपबंध करता है कि सेरोगेसी अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन गठित किया जाने वाला राज्य बोर्ड प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए राज्य बोर्ड होगा ।

4. विधेयक का खंड 9 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए क्लीनिकों और बैंकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री नामक एक रजिस्ट्री की स्थापना कर सकेगी ।

5. विधेयक के खंड 12 का उपखंड(1) यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र हेतु एक या अधिक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण नियुक्त करेगी ।

6. विधेयक के खंड 4 के उपखंड (iii), खंड 7 के उपखंड (iv) और खंड 12 के उपखंड (4) में क्रमशः यह उपबंधित है कि राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य बैठकों में उपस्थित होने के लिए केवल प्रतिकरात्मक यात्रा व्यय प्राप्त करेंगे ।

7. विधेयक का खंड 10 यह उपबंध करता है कि धारा 9 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय रजिस्ट्री वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक और समर्थनकारी कर्मचारीवृंद से मिलकर बनेगा ।

8. इसमें, राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की बैठकों और राष्ट्रीय रजिस्ट्री के पूर्वोक्त कर्मचारिवृंद के सिवाय ऐसी कोई वित्तीय विवक्षाएं नहीं होंगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के नियमित बजट से पूरा करना होगा ।

9. विधेयक में भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतर्विलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 42 केन्द्रीय सरकार को, ऐसे विषयों के संबंध में प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जिसमें अन्य बातों के साथ—(क) धारा 5 के खंड (छ) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड की अन्य शक्तियां और कृत्य ; (ख) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन राज्य बोर्ड की अन्य शक्तियां और कृत्य ; (ग) धारा 10 के अधीन राष्ट्रीय रजिस्ट्री के वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ; (घ) धारा 11 के खंड(घ) के राष्ट्रीय रजिस्ट्री के अन्य कृत्य ; (ङ) धारा 13 के खंड (ज) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के अन्य कृत्य ; (च) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां ; (छ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा क्लीनिक या बैंक को अनुज्ञप्ति देने का रूपविधान ; (ज) वह प्रक्रिया और प्ररूप जिसमें धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा और उसके लिए संदेय फीस ; (झ) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन क्लीनिकों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं और उनके द्वारा अनुरक्षित उपस्कर ; (ञ) धारा 17 के अधीन क्लीनिक और बैंक के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और फीस ; (ट) वह अवधि, प्ररूप और रीति जिसमें धारा 19 के अधीन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को अपील की जा सकेगी ; (ठ) धारा 21 के खंड (क) के अधीन सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का उपभोग करने के लिए मानदंड ; (ड) उन रोगों की चिकित्सीय परीक्षा जिनके संबंध में दाता की धारा 21 के खंड (ख) के अधीन परीक्षा की जाएगी ; (ढ) धारा 21 के खंड (च) के अधीन शिकायत तंत्र के समक्ष शिकायत करने की रीति और क्लीनिक द्वारा अंगीकृत तंत्र ; (ण) धारा 21 के खंड (ञ) के उपखंड (iii) के अधीन क्लीनिक और बैंकों द्वारा राष्ट्रीय रजिस्ट्री को सूचना उपलब्ध कराने की रीति ; (त) धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन डिंबाणुजन कोशिकादाता के लिए बीमा आवरण की रकम और बीमे की अवधि ; (थ) धारा 23 के खंड (क) के अधीन क्लीनिकों और बैंकों द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण की रीति ; (द) धारा 24 के खंड (ज) के अधीन क्लीनिकों के अन्य कर्तव्य ; (ध) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन पूर्वगर्भ रोपण आनुवंशिक परीक्षण का उपयोग करने के अन्य प्रयोजन ; (न) धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन रोगों के लिए सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों द्वारा दाताओं की परीक्षा ; (प) धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन बैंक द्वारा शुक्राणु या डिंबाणुजन के कोशिका दाता के संबंध में सूचना अभिप्राप्त करने की रीति ; (फ) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन युग्मकों, मानव भ्रूणों की सुरक्षा अभिलेखन, पहचान के संबंध में उनके भंडारण और उन्हें संभाल कर रखने के लिए मानक ; (ब) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन किसी दाता के युग्मकों या भ्रूण नष्ट करने के लिए कार्य कराने वाले दंपति या व्यष्टि की सहमति अभिप्राप्त करने की रीति ; (भ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन मानव भ्रूण पर अनुसंधान ; (म) धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री या राज्य बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रवेश करने और तलाशी की रीति सम्मिलित हैं ।

2. विधेयक का खंड 43 राष्ट्रीय बोर्ड को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से,

अधिसूचना द्वारा—(क) धारा 24 के खंड (क) के अधीन डिंबाणुजन कोशिकाओं के संचयन की रीति ; (ख) धारा 24 के खंड (ख) के अधीन डिंबाणुजन कोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या ; और (ग) कोई अन्य विषय, जिसका विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित हों, का उपबंध करने के लिए प्रस्तावित विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियमन बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

3. वे विषय जिनके संबंध में ऊपर उल्लिखित नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—6170LS(CRC)—19-3-2020.